

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 53/2018

मखनखां पुत्र गन्नीखां जाति कलाल निवासी वार्ड नं. 8 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
-वादी

बनाम

1. सिकन्दर पुत्र मनुखां जाति कलाल निवासी वार्ड नं. 8 मुकुन्दगढ तह0 नवलगढ
2. सत्यवीर सिंह पुत्र नेमीचन्द जांगिड जाति जांगिड निवासी मुकुन्दगढ
3. शब्बीरखां पुत्र कासमखां जाति क्यामखानी निवासी ग्राम भींचरी तहसील फतेहपुर सीकर
4. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू
-प्रतिवादीगण

दावा: बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अं.धारा 53 व 188 रा.का.अधि. 1955
निर्णय

निर्णय तिथि 14.06.2018
वाद वादी दिनांक 01.06.2018 को प्राथमिक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2018/1217 दिनांक 13.06.2018 प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम पबाना की भूमि ख.न. 1179/2.15 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. सिकन्दर पुत्र मनुखां जाति कलाल को भूमि ख.न. 1179/695/4 रकबा 1.0750 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. मखन पुत्र गन्नीखां जाति कलाल को भूमि ख.न. 1179/695/1 रकबा 1.0333 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शब्बीर खां पुत्र कासम जाति क्यामखानी निवासी भिंचरी तहसील फतेहपुर को भूमि ख.न. 1179/695/2 रकबा 0.0232 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. सत्यवीरसिंह पुत्र नेमीचन्द जाति जांगिड निवासी ग्राम सिरियासर खुर्द तहसील झुन्झुनू को भूमि ख.न. 1179/695/3 रकबा 0.0185 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मजमे शिविर सुनाया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
 पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०:- 53/2018 (मखनखां बनाम सिकन्दर आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई -वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.06.2018 निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम पबाना की भूमि ख.न. 1179/2.15 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. सिकन्दर पुत्र मनुखां जाति कलाल को भूमि ख.न. 1179/695/4 रकबा 1.0750 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. मखन पुत्र गनीखां जाति कलाल को भूमि ख.न. 1179/695/1 रकबा 1.0333 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शब्बीर खां पुत्र कासम जाति क्यामखानी निवासी भिंचरी तहसील फतेहपुर को भूमि ख.न. 1179/695/2 रकबा 0.0232 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. सत्यवीरसिंह पुत्र नेमीचन्द जाति जांगिड निवासी ग्राम सिरियासर खुर्द तहसील झुन्झुनू को भूमि ख.न. 1179/695/3 रकबा 0.0185 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।



मुबलिया.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह..
 दी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करे।
 बसक्त मेरे तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 14 माह 06 सन्.2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा	रुपया पैसे	मुद्दासलह	नवलगढ	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा		0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा		0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी		-
महनताना वकील	-	महनताना वकील		-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान		-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर		-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा		-
मुतफरिक मिजान	03.00	मुतफरिक मिजान		0.00